

प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यटन का स्वरूप और विकास

सारांश

आज पर्यटन एक बहुविधीय क्रियाओं का संयोजन है। इसकी और समाज की रूचि विभिन्न उद्देश्यों और कारणों से बढ़ी है तथा बढ़ रही है। इसके पीछे मूल उद्देश्य है कार्य से थकने के बाद अवकाश के समय का आनंद के लिए उपयोग की नई शक्ति प्राप्त कर पुनः कार्य को अधिक क्षमता पूर्ण किया जा सके। इस आनंद की प्राप्ति घर में नहीं हो सकती क्योंकि सामने वही समस्याएं और शक्तियां यहां उठती रहेंगी। इसलिए मन को उस ओर से बिल्कुल दूर रखने के लिए आवश्यक है कि कुछ समय के लिए व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र आनंद की अनुभूति के लिए अवकाश के दिनों में चला जाए चाहे अपने ही देश में। पहले ऐसा करना अत्यंत दुरुह था क्योंकि न साधन सुलभ थे और न ऐसे स्थल थे जहां बिना श्रम के घर के बाहर निकलकर व्यक्ति घर की तरह सुविधा का आनंद उठाकर यात्रा कर सकें।

मुख्य शब्द : पर्यटन, पर्यटक, मनोरंजन, भ्रमण, देशाटन, व्यापार, सम्यता, संस्कृति, आस्था, अवकाश, जीवन शैली, आध्यात्मिकता, महत्व।

प्रस्तावना

भारतीय प्राच्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मानव के विकास, सुख और शांति की संतुष्टि व ज्ञान के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना गया है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी पर्यटन को प्रथम महत्व दिया है। प्राचीन गुरुओं (ब्राह्मणों, ऋषि-तपस्वियों) ने भी यह कह कर कि ‘बिना पर्यटन मानव अन्धकार प्रेमी होकर रह जायेगा।’ पाश्चात्य विद्वान् संत आगस्टिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ‘बिना विश्व दर्शन ज्ञान ही अधुरा है।’¹ पंचतंत्र नामक भारतीय साहित्य दर्शन में कहा गया है ‘विद्याक्तिम् शिल्पं तावन्नाप्यनोती मानवः सम्यक् यावद् ब्रजिति न भुमो देशा-देशांतरः।’² पर्यटन अदिकाल से ही मनुष्यों का स्वभाव रहा है। घूमना-फिरना भी मनुष्य के जीवन को आनंद से भर देता है इसका पता लोगों ने बहुत पहले ही लगा लिया था। पहले लोग पैदल चलकर या समुद्र मार्ग से लंबी-लंबी दूरियाँ तय कर अपने भ्रमण के शौक को पूरा करते थे। कुछ लोग ऊँटों, घोड़ों आदि पर चढ़कर समूह यात्रा करते थे हालांकि ऐसी कई यात्राएँ व्यापार के उद्देश्य से भी की जाती थीं। परंतु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो यात्रा तो व्यापार शिक्षा प्राप्ति या राजा के दूत बनकर करते थे परंतु उनकी यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाती थी। ये लोग दूसरे देश की संस्कृति का अध्ययन कर अपने अनुभवों को ग्रंथ रूप में लिख देते थे।

भारतीय ग्रंथों में कहा गया है—‘चरैवेति, चरैवेति’³ — अर्थात् चलते रहो, चलते रहो। गौतम बुद्ध ने भी कहा—‘चरथ भिक्खवे, चरथ’⁴ अर्थात् भिक्षुओं चलते रहो। चलने को ही हमारे यहाँ जीवन माना गया है। कहते हैं, जल यदि बहता नहीं है, एक स्थान पर रुक जाता है तो सड़ने लगता है। जीवन के बारे में भी हमारे आदि ग्रंथों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति चले नहीं तो उसके होने की किसी प्रकार की सार्थकता नहीं है। चलने का अर्थ यात्रा से है। ऐसी यात्रा से, जो आपको किसी मंजिल पर ले जाती है। विचार सुनने व्यक्ति की क्या समाज में कोई हैसियत होती है? नहीं न। इसका अर्थ हुआ, विचार भी चलता है, उसकी गति होती है। गति होगी तो मंजिल भी होगी और मंजिल तय करने के लिए यात्रा करना जरूरी है। शायद इसीलिए हमारे यहां चरैवेति—चरैवेति कहा गया है। इसी ‘चरैवेति’ ने मनुष्य को यात्रा करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए शायद यात्रा को जीवन का अविच्छिन्न अंग माना गया है। जैविक विकास के आधार पर यात्रा के विकास की गणना की जाए तो इस बात से भला कोई कैसे इनकार कर सकता है जीव की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था से लेकर पूर्ण विकसित मानव की स्थिति तक पहुंचने के क्रम में भी यात्रा जीवन के साथ चलती रहती है।

विकास की गति के साथ यात्रा का स्वरूप अर्थ और उद्देश्य बदलता रहा है। सामान्य अर्थ में यात्रा से आशय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है। तीर्थ, ज्ञान, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन आदि उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की परंपरा आदि काल से चलती आई है। इसी परंपरा ने देशाटन की सोच को विकसित किया है। जैसे—जैसे मानवीय सोच का विस्तार होता गया, यात्रा वृत्ति को विकसित एवं परिवर्तित करते हुए पर्यटन का नया रूप दिया जाने लगा।

साहित्यावलोकन

प्राचीनकाल से ही पर्यटन दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन के लिए अत्यावश्यक माना है। भारत पर्यटकों का देश रहा है। शिवस्वरूप सहाय ने अपने ग्रन्थ ‘पर्यटकों को देश भारत’ में भारत के पर्यटक स्थलों के बारे में वर्णन किया है। ताज रावत ने अपनी पुस्तक ‘पर्यावरण, पर्यटन एवं लोक संस्कृति’ में प्राचीन काल से अद्यतन तक भारतीय संस्कृति में पर्यटन को विशेष महत्व दिया है। ए बी एल अवस्थी ने अपनी रचना ‘प्राचीन भारतीय भूगोल’ में भारत के प्राचीन पर्यटक स्थलों एवं उनके स्वरूप पर विश्लेषणात्मक प्रकाश डाला है। महेश शर्मा ने “भारत के पर्यटन स्थल” नामक अपनी पुस्तक में पर्यटन के सिद्धांत प्रबंधन और उसके विकास पर सर्वेक्षण किया है। इस प्रकार भारत के पर्यटन का अनेक विद्वानों ने प्राचीन काल से ही वर्णन किया है।

स्वरूप

इसके दो प्रमुख तत्व हैं घर छोड़कर बाहर जाना और वहां ठहरना। इस प्रकार सामान्य न्यवसित जीवन के क्रियाकलाप से भिन्न समय का यह जीवन होता है। इस प्रकार सामान्य जीवन से पर्यटक का जीवन भिन्न होता है। पर्यटन से स्वैच्छिक क्रिया है जिसे पर्यटक अपनी रुचि के अनुसार तथा अपने संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर करता है। इसमें न न्यवसित देश का और न आतिथ्य देश का कोई बंधन होता है। यह एक पारिश्रमिक विहीन आनंदात्म क्रिया है। जहां भी वह जाता है उसके लिए उसे पारिश्रमिक नहीं मिलता बल्कि वह स्वयं का पैसा खर्च करके जाता है और रहता है। वहां वह न नौकरी का या न व्यापार करने का उद्देश्य लेकर जाता है कि भविष्य में वहां से द्रव्योपार्जन की योजना उसके मन में हो। एकमात्र यह सेवा सम्बन्धित क्रिया है। इसमें विभिन्न घटकों की सेवाएं वह अपने प्रवास काल में उपभोग करता है। साथ ही जो घटक इससे सम्बन्धित है उनका भी उद्देश्य पर्यटकों को अपनी सेवा देकर धन कमाना होता है। इसके कारण पर्यटन वाले देश में सेवा और नौकरी के अवसर बढ़ जाते हैं। तथा कमाई के स्रोतों का ही विस्तार होता है,— जैसे होटल, यातायात, समाचार माध्यम आदि।

यह मौसमी क्रिया होती है जब जिस देश या स्थान का मौसम सुहाना होता है। वहां लोग उस समय वहां आने लगते हैं। भारत के मध्य भाग में जब गर्मी बहुत पड़ती है तो सेलानी पर्वतीय प्रदेश में चले जाते हैं। जब वहां वर्षा होने लगती है तो भी मैदानी भाग में चले आते हैं। जब अधिक ठंडक पड़ने लगती है तो लोग समुद्र तट पर चले जाते हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर वहां

के मौसम के अनुसार पर्यटकों की भीड़ घटती-बढ़ती रहती है। इससे अर्थिक संतुलन बने रहने में भी कुछ सहायता मिलती है। प्रायः पर्यटन स्थलों पर गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता रहती है क्योंकि वे स्थान घनी आबादी के क्षेत्र से दूर होते हैं। अतः वहां पर्यटकों के आने से प्रत्येक वर्ग को किसी न किसी प्रकार की आय होती है। इससे वहां गरीबी, बेरोजगारी आदि के निवारण का अवसर तो मिलता ही है साथ ही यह अधिक पैसे वाले अपना पैसा खर्च कर वहां की अर्थिक स्थिति कुछ तो उठाई देते हैं। आगंतुकों के विचारों और प्रवृत्तियों का भी प्रभाव अतिथेय देश या स्थान पर पड़ता है। वहां भाषा, वेशभूषा, व्यवहार का परस्पर आदान-प्रदान होने से दोनों एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते और प्रभावित होते हैं। देहाती लोगों द्वारा अपने बोलचाल में विदेशी शब्दों का प्रयोग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

भारतीय संदर्भ में बात करें तो इस बात से भला कोई कैसे इनकार कर सकता है कि देशाटन सदैव से ही हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। देशाटन ने शनैः शनैः पर्यटन का जो रूप ग्रहण किया है, उसने यात्रा की हमारी पुरानी परंपरा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है आज पर्यटन का अर्थ सैर-सपाटे तक ही सीमित नहीं है। यह महत्वपूर्ण अर्थिक गतिविधि, संस्कृति से जुड़ी ऐसी प्रक्रिया है जिससे स्वस्थ मनोरंजन तथा पारस्परिक एकता एवं सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन से न केवल मनुष्य की जानकारियों का दायरा विस्तृत होता है बल्कि अब यह उसके सर्वांगीण विकास का माध्यम बन चुका है।

आज पर्यटन एक आनंद और अवकाश के समय के सदुपयोग का अत्यंत सहज माध्यम बन गया है। पर्यटन में घर से बाहर निकलने वाला व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद पुनः घर में लौट आता है। वह बाहर न अपना आवास बना सकता है और न स्थाई रूप से ठहर सकता है। वहां उसका ठहराव अत्यंत अल्पकालिक होता है पर 24 घंटे का कम से कम होना आवश्यक है। इससे कम ठहरने वाला पर्यटक भ्रमण कर्ता कहा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि वहां रहकर कोई अर्थिक क्रिया वह नहीं करेगा। और न ही वह एक लंबी अवधि तक रुक कर कोई कार्य करेगा। इसी से वहां रहकर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को पर्यटक की श्रेणी से बाहर रखा गया है। बल्कि पर्यटक के लिए आवश्यक शर्त है कि पर्यटन में वह अपने घर के कमाए पैसे को पर्यटन स्थल में व्यय कर आनंद प्राप्त करें। इसलिए व्यवसाय के लिए गए हुए व्यक्ति भी इस कोटि के बाहर रखे जाते हैं। जब घर से बाहर निकलता है तो वहां वह एक लंबी व्यवस्था में लगी क्रियात्मक संस्थाओं का लाभ प्राप्त करता हुआ आनंद से समय बिताता है। ये संस्थाएं हैं — होता, भोजनालय, यातायात, बैंक, बाजार आदि। पर इन से इसका संबंध अल्पकालिक होता है। वहां से हटते ही इन से इसका संबंध टूट जाता है और फिर अपने निवास स्थान पर आकर अपनी दिनचर्या में वह जुट जाता है। इसमें घर से बाहर कदम रखते वह पैसा खर्च कर आनंद उठाना शुरू करता है, जैसे रेल, कार, हवाई जहाज आदि का टिकट खरीदने, ठहरने, खाने, दर्शनीय स्थलों पर जाने, खेल आदि में भाग लेने, वहां धोबी, मोची

आदि की सेवाओं का उपयोग करने, यात्रा के लिए उपयोग की गई एजेंसियों एजेंटों आदि को कमीशन और फीस देने, पत्र-पत्रिकाओं, सिनेमाघरों, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का आनंद लेने आदि अनेक कार्यों के लिए। इसमें अपने देश का पैसा जिसे वह कमाया होता है, उसे दूसरे स्थान के विभिन्न स्रोतों जैसे होटल, यातायात, टुकानदारों में व्यय करता है। इस प्रकार पर्यटन विविध संबंधों का एक समन्वित रूप होता है।

आधुनिक समय में पर्यटन एक विस्तृत विचार बन रहा है देशाटन से प्रारंभ हुए पर्यटन के मायने अब बदल चुके हैं। अब यह ज्ञान, नयी चीजों के बारे में पता लगाने, मनोरंजन, व्यापार आदि का रूप ले चुका है। मनुष्य की सदा से ही जिज्ञासा रही है कि वह स्थान विशेष के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, जिसके बारे में उसने सुना या पढ़ा है। उसकी इसी जिज्ञासा ने उसे अपने स्थान से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं, सन 1292 में सर्वप्रथम 'टूअर'शब्द का प्रयोग हुआ, जो लेटिन शब्द 'टोरनस' से बना है, जिसका अर्थ प्रारंभ में 'वृत्तात्मक' उपकरण या स्थिति से लगाया जाता था। किसी शब्द से धीरे-धीरे 'टूरिज्म' शब्द की उत्पत्ति हुई।

संस्कृत साहित्य में पर्यटन के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है यह तीन शब्द हैं –पर्यटन, देशाटन और तीर्थाटन। इन तीन शब्दों के अर्थ में ही पर्यटन की अवधारणा अंतर्निहित है। प्रथम शब्द है—पर्यटन अर्थात् आराम एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा करना। दूसरा शब्द है—देशाटन अर्थात् विदेशों में, मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए यात्रा करना और तीसरा प्रमुख शब्द है— तीर्थाटन अर्थात् धार्मिक लाभ के लिए यात्रा करना।

भारत आस्था का देश है धार्मिक आस्था यहां पर्यटन की संवाहक रही है वर्षों पहले जब आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था, लोग धार्मिक आस्थावास दुर्गम तीर्थ स्थलों पर जाया करते थे। इस बहाने निवास स्थल से दूर के स्थानों की यात्रा तो हो ही जाती थी, साथ ही रास्ते में पड़ने वाले इलाकों की सम्भता एवं संस्कृति से साक्षात्कार भी हो जाता था। तीर्थ स्थलों का अलग अलग दिशाओं में होना इस बात का भी पुष्टि करता है कि इनकी स्थापना के पीछे मनुष्य को अपने निवास स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थानों से अवगत कराने के साथ घर से बाहर की दुनिया को देखने का अवसर दिलाना रहा है। दरअसल पर्यटन एक व्यापक शब्द है, जिसमें विभिन्न शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति निहित है। साथ ही व्यक्ति का विकास भी जुड़ा हुआ है।

विकास

पर्यटन के अंतर्गत आज नए नए क्षेत्रों का विकास हुआ है और धूमने—फिरने की अवधारणा ने अब एक व्यापक स्वरूप धारण कर लिया है आज देश, राज्य और स्थानीय विकास की अवधारणा में इसे समिलित कर लिया गया है। समग्र रूप से कहा जाए तो पर्यटन एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधि है, जो आज के समय की आवश्यकता है। यह बिना चिमनी और धूएँ का एक ऐसा उद्योग है जो लोगों को स्थान विशेष की तरफ आकर्षित करने, उन्हें वहां तक

पहुंचाने, आवासित करने, खाने—पीने की सामग्री प्रदान करने, उनका मनोरंजन करने तथा वापसी में उन्हें उनके घर पहुंचाने से सम्बन्धित है।

अब इसके क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ है आज से दो—तीन दशक पहले तक पर्यटन कुछ समृद्ध, धनी एवं साहसिक व्यक्तियों तक ही सीमित था, परंतु परिवहन एवं संचार के साधनों के तीव्रतम विकास से अब यह हर आम और खास के लिए समान पहुंच का क्षेत्र हो गया है। पर्यटन की सोच का विस्तार इस कदर हुआ है कि मध्यम एवं कुछ हद तक निम्न आय के लोग भी अब अपने निवास स्थान से बाहर भ्रमण एवं अवकाश व्यतीत करने जाने लगे हैं। वित्तीय संस्थाओं और बड़ी—बड़ी यात्रा एजेंसियों द्वारा पर्यटन पैकेज भी तैयार किए जाने लगे हैं। इनसे सभी प्रकार का पर्यटन सुगम ही नहीं हुआ है बल्कि आम आदमी की इस तक पहुंच भी हो गई है। पर्यटन अब अनेक रूप ले चुका है। सांस्कृतिक, चिकित्सा, धार्मिक, पारिस्थितिकी, साहसिक, क्रीड़ा, ग्रामीण आदि अनेक रूपों में पर्यटन ने आज विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है।

भारत विश्व के दो प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और आर्य सभ्यता। भारत में पर्यटन विकास प्रारम्भिक साठ के दशक में शुरू हुआ। उस समय तक अधिकांश अन्य देशों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और अधिकतम संभव सीमा तक इसका फायदा उठाया है। विदेशियों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में भारत को पेश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 'भारत सभी मौसमों और सभी कारकों का देश है।' भारत के पर्यटन के संसाधनों को हमेशा विशाल माना जाता रहा है। भौगोलिक विशेषताएं, रंगीन और विविध हैं। जैसे संसाधन क्षमता इतनी अधिक है कि वह सभी प्रकार के और पर्यटकों के स्वाद को पूरा कर सकती है।

पर्यावरणीय प्रभावों के तहत पुरातात्त्विक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण को संदर्भित किया गया था। उनकी संस्कृति, जब वे इसे सराहना करते हुए पर्यटकों का पालन करते हैं। पर्यटन, पर्यटकों और निवासियों के बीच पार संस्कृति के आदान—प्रदान का अवसर प्रदान करता है, जो सीखते हैं और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। आतिथ्य अतिथि और मेजबान, या मेहमाननवाज होने का कार्य या अभ्यास के बीच संबंध है। पर्यटन को परिभाषित किया जाता है "अवकाश, व्यापार और अन्य प्रयोजनों के लिए एक से अधिक वर्षों तक नहीं, अपने सामान्य परिवेश के बाहर के लिए यात्रा करना और उनके लिए रहना"। पर्यटन आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही उसी देश के किसी अन्य स्थान की यात्रा का उल्लेख करता है।

जैसे—जैसे पर्यटन की सोच का विकास हुआ है, इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की यथा आवास, भोजन, परिवहन आदि व्यवसायों का विकास त्वरित गति से होने लगा है। आमतौर पर पर्यटन एवं यात्रा को एक ही मान लिया जाता है, जबकि इन दोनों में मूलभूत अंतर है। यात्रा का उद्देश्य व्यवसाय या अन्य कुछ भी हो सकता है। परंतु पर्यटन का अर्थ मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, नया देखने की

जिज्ञासा को शांत करने के लिए भ्रमण। पर्यटन बिना स्कूल गए व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही अपने परिवेश से अलग लोगों की संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं, खान-पान आदि के बारे में बहुत कुछ नहीं जानकारियां भी देता है। पर्यटन देश-विदेश की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी के आदान-प्रदान की ऐसी क्रिया है जिससे भिन्न-भिन्न लोगों से मेल-मिलाप भी नहीं होता बल्कि व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा ज्ञान भी प्राप्त होता है, जो अन्य किसी स्त्रोत से नहीं मिल सकता। सड़क एवं रेल यातायात के प्रादुर्भाव के साथ सोलहवीं सदी में पर्यटन विकास को काफी गति मिली। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सड़क, हवाई यातायात तथा संचार साधनों के विकास से पर्यटन अत्यधिक समृद्ध हुआ। पर्यटन किसी भी राष्ट्र के लिए न केवल महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है बल्कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का विशिष्ट माध्यम भी है।

भ्रमण या पर्यटन का इतिहास जितना पुराना रहा है उतना ही रोमांचक और रोचक भी। सम्यता के विकास को भ्रमण या यात्रा से पृथक नहीं किया जा सकता। अंतर इतना है कि सम्यता का इतिहास शासक वर्ग से अधिक जुड़ा रहा है। यात्रा का इतिहास आम जनता का इतिहास है। इस इतिहास की कहानी हम सब की कहानी है। यात्रा या भ्रमण के इतिहास को खंगालने की आवश्यकता पर्यटन के बढ़ते महत्व को देखते हुए सर्वथा प्रासंगिक है। इसलिए भी कि अतीत की नींव पर ही पर्यटन का भविष्य खड़ा है। अतीत की स्मारक, धरोहर ही तो पर्यटन के प्रमुख आकर्षण होते हैं। ऐसे में अतीत को विस्मृत करके भविष्य का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। भ्रमण, यात्रा या पर्यटन के उद्भव एवं विकास का इसलिए और भी अधिक महत्व है। भारत आरंभ से ही पर्यटन के विचार से जुड़ रहा है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के साथ ही प्राचीन शास्त्र-कथाओं में भी अपने निवास-स्थान से बाहर घूमने जाने के प्रसंग कई रूपों में आते हैं। महाभारत कालीन सम्यता के अंतर्गत उत्सवों व उपहार देने की जो परंपरा मिलती है उससे स्पष्ट होता है कि एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा का महत्व तब भी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वेदों, उपनिषदों आदि में भी भ्रमण के रोचक वृत्तांत मिलते हैं। शास्त्रों में “अतिथि देवो भव”⁵ की बात भी वर्षों से चली आ रही भावना को ही इंगित करती है। इस रूप में भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही भ्रमण, यात्रा और यात्री के महत्व को स्वीकार कर लिया गया था। उत्तरवैदिक काल में लोहे से इस्पात और उससे हथियार बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। भारतीय अस्त्रों की धाक विश्वभर में थी। विश्व में भारत को सोने की चिडिया’ कहकर भी शायद इसी लिए संबोधित किया गया कि यहां भौतिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से चारों ओर समृद्धि थी। वैसे भी एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग भारत से होकर ही गुजरते थे। ऐसे में यात्रा और भ्रमण आरम्भ से ही यहां की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं।

वर्षों पहले जब आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था, लोग धार्मिक आस्थावस दुर्गम तीर्थ स्थलों पर जाया करते थे। भारतीय आख्यान साहित्य का आदर्श

पुत्र श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को चार धामों की यात्रा के लिए कंधे पर तराजूनुमा पालकी में बिठाकर ले गया था। यह कहानी भी उस जमाने में मौजूद तीर्थाटन के महत्व को इंगित करती है तीर्थाटन के बहाने निवास स्थल से दूर के स्थानों की यात्रा तो हो ही जाती थी, साथ ही रास्ते में पड़ने वाले इलाकों की सम्यता एवं संस्कृति वहां के रहन-सहन से भी साक्षात्कार हो जाता था। दूसरे धर्मों के प्रचार-प्रसार के लिए भी यात्राएं करने का वर्णन प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ज्ञान-पिपासु ईसा मसीह ने भी भारत की यात्रा करते हुए यहां के अनेक स्थानों का भ्रमण किया। बुद्ध ने भी बुद्धत्व का संदेश गांव-गांव घूम-घूमकर दिया। यात्राओं के उद्देश्यों ने ही भ्रमण के वास्तविक अर्थ का विस्तार किया।⁶

आदि शंकराचार्य ने देश के विभिन्न भागों की यात्रा इसी उद्देश्य से की थी कि सभी को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधा जाए तीर्थ स्थलों के अंतर्गत कश्मीर से कन्याकुमारी तक दुर्गम स्थानों पर मंदिरों, मठों, दरगाहों आदि की स्थापना सम्भवतः इसी उद्देश्य से की गई थी कि लोग तीर्थाटन के माध्यम से लंबी यात्राएं कर सकें और स्थान विशेष की संस्कृति से रुबरु हो सकें। भक्ति और कीर्तन की परंपरा से भी देशाटन को बढ़ावा मिला। ‘हरे कृष्णा आंदोलन’ के अंतर्गत दूर देशों के लिए भारत आज भी आकर्षण का केंद्र है। मेलों की भारतीय संस्कृति भी तीर्थाटन से देशाटन की परंपरा को समृद्ध बनाती रही है। देशाटन का प्रमुख लक्ष्य आध्यात्मिक था। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में सदियों पुरानी सरायें अथवा धर्मशालाएं मौजूद हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए निकला करते थे। हिंदू चार तीर्थ धामों की यात्रा के बगैर अपना जीवन अधूरा मानते थे तो मुसलमान औलिया तथा पीरों व फकीरों की दरगाह पर जियारत करना अपना धर्म मानते रहे हैं। बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई मतावलंबी भी अपने-अपने उपासना-स्थलों पर प्रार्थना करते रहे हैं। दरअसल तीर्थाटन हमारी परंपरा रही है और संचार तथा परिवहन के विकास ने इसमें नए आयाम जोड़ दिए। तीर्थाटन ने शनैः-शनैः देशाटन का रूप ले लिया। लोग धार्मिक स्थलों की सैर के बहाने रास्ते में पड़ने वाले घूमने-फिरने के स्थलों पर जाने की ओर प्रवृत्त होने लगे। घर से दूर अवकाश मनाने की सोच का तीर्थाटन से ही विकास हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।⁷

भारत एक ऐसा देश है, जहां सभी आगंतुकों के लिए अपने भव्य इलाज के लिए जाना जाता है, भले ही वे जहां से आए हों। इसके लिए मैत्रीपूर्ण परंपराएं, विविध जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत और रंगीन मेलों और त्यौहारों ने पर्यटकों के लिए स्थायी आकर्षण का आयोजन किया। अन्य आकर्षणों में सुंदर समुद्र तटों, जंगलों और जंगली जीवन और पर्यावरण पर्यटन, बर्फ, नदी और साहसिक पर्यटन, तकनीकी पर्यटन और विज्ञान पर्यटन के लिए विज्ञान संग्रहालयों के लिए पर्वत चोटियों के लिए परिदृश्य शामिल हैं। आध्यात्मिक पर्यटन के लिए तीर्थयात्रा के केंद्र विरासत पर्यटन और विरासत पर्यटन के लिए होटल। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य रिसॉर्ट्स भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय हस्तशिल्प विशेष रूप से, आभूषण, कालीन, चमड़े के सामान, हाथी दांत और पीतल के काम विदेशी पर्यटकों की मुख्य खरीदारी की वस्तुएं हैं। सर्वेक्षणों के माध्यम से उपलब्ध अनुमान बताते हैं कि ऐसी वस्तुओं की खरीदारी पर लगभग 40 प्रतिशत खर्च होता है। कई अध्ययनों का नतीजा पर्यटन के बारे में किया गया है कि भारत पर्यटन, ग्रामीण, सांस्कृतिक, पर्यावरण पर्यटन, आध्यात्मिक, खेल और साहसिक पर्यटन के सभी प्रकार के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. इकबालिया – (सँत आगस्टिन), पु.सं.६५
2. पञ्चतन्त्रम् – मित्रलाभ, पु.सं.६७
3. ऐतरेय ब्राह्मण अध्याय-३, खण्ड-३
4. महावगः : विनयपिटक – गौतम बुद्ध
5. तैतिरीयोपनिषद् शिक्षावल्ली अनुवाक-११
6. पर्यटन भूगोल –राजेश शुक्ला, पु.सं.५६
7. भारत में पर्यटन – राजेश कुमार व्यास पु.सं.७७